नीलामी सूचना

श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर जिला सिरमौर में आश्विन नवरात्र मेला 2025 दिनांक 22 सितम्बर 2025 से दिनांक 07 अक्टूबर 2025 तक मनाया जा रहा है । उक्त मेला के दौरान त्रिलोकपुर पधारने वाले यात्रियों के सुविधार्थ वाहनों की पार्किंग सुविधा मन्दिर न्यास द्वारा दी जाती है जिस हेतु त्रिलोकपुर स्थायी निवासियों तथा हिमुडा से कय की गई 86 बीघा भूमि पर वाहनों की पार्किंग की नीलामी की जानी है। नीलामी हेतु दिनांक......15.....सितम्बर 2025 को प्रातः 10बजे निर्धारित किया गया है नीलामी की कार्यवाही उक्त दिवस को प्रातः 11:00 बजे प्रारम्भ की जाएगी।

1. सरकारी नीलामी की राशि से अधिकतम बोली राशि ही स्वीकार्य होगी जिसमें बोली स्वीकृति के बाद बोलीदाता को प्लॉट बोली की राशि का पचहत्तर प्रतिशत मौका पर नगद अथवा ऑनलाईन जमा करवाना होगा तथा शेष राशि का पोस्ट डेटिड चैक दिनांक 07 अक्टूबर 2025 का देना होगा। यह राशि न्यास के खाता संख्या 56950600075 आई.एफ.सी.कोड. HPSC0000569 में अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नाहन के खाता संख्या 11128708610 SBIN0000686 में जमा करवाई जा सकती है।

2. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार मौका पर 50,000रु की नगद या डी.डी. द्वारा धरोहर राशि देकर भाग ले सकते हैं जो कि समायोजन योग्य है।
3. पार्किंग शुल्क 12 घण्टे के लिए स्वीकार्य होगी जोकि निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है–

(i)	कार/जीप/एल.एम.वी.वाहन	50रु पचास रु
(ii)	स्कूटर/मोटरसाईकल	30रु तीस रु
(iii)	ट्रक /ट्रैक्टर/ट्राली/बस	100रु एक सौ रु

4. ठेकेदार द्वारा अपने निजि कर्मचारियों द्वारा सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था की जाए जिसमें मेला प्रवेश मार्ग गुरुकृपा औद्योगिक ईकाई से हिमुडा से कय की गई भूमि प्रवेश द्वार तक वाहन निर्धारित शुल्क चार्ज किए जा सकते हैं।

5. पार्किंग हेतु उपलब्ध भूमि पर सी.सी.टी.वी कैमरे , सफाई ,बिजली व पेयजल सुविधा का कार्य न्यास द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
6. यात्रियों द्वारा अपने वाहनों में यदि कीमती समान ज्वैलरी /मोबाईल आदि रख कर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी वाहन स्वामी की ही होगी। ठेकेदार की जिम्मेदारी केवल वाहन की चोरी /दुर्घटना की ही होगी । वाहन स्वामी को अपने वाहन पर अपने मोबाईल नम्बर का स्टीकर बड़े फोंट लगाना सुनिश्चित करना होगा।

7. भण्डारा वाहन निःशुल्क छूट के दायरे से बाहर रहेंगें , सरकारी बस ,सरकारी वाहन, न्यास का वाहन , न्यास द्वारा लगाए गए टैक्सी वाहन व मन्दिर स्टॉफ के वाहन निःशुल्क रहेंगें।

8. यात्रियों के वाहनों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र की ही होगी यदि कोई निर्धारित क्षेत्र के बाहर अपनी मर्जी से वाहन पार्किंग करता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की स्वयम् की होगी।

(Upender Kumar Chauhan)